



समक्ष :माननाय राजस्व मडल म0प्र0 ग्वालियर

क्रिग 13998-I-15

अपील प्रकरण कमाक

/2015 जिला जवलपुर

श्रीमती सीताबाई कोल पति श्री राजकुमार कोल
निवासी --ग्राम नारायणपुर थाना बरगी तहसील व
जिला जवलपुर म.प्र. ।

श्री सुनील सिंह सादर को/प्र०
द्वारा आज दि. 15-12-15
प्रस्तुत

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

का
कलेक्टर ऑफ/डि. 12-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर ।
2. आत्मेश गर्ग पिता श्री गोपालदत्त गर्ग निवासी
616/ए रामनगर आधारताल जवलपुर म.प्र. ।

.....प्रत्यार्थीगण

Atollu
15-12-15
S. G. M. 11/5/17
24

न्यायालय कलेक्टर , जिला जवलपुर द्वारा प्रकरण क
333/अ-21/2012-2013 मे पारित आदेश दिनांक 19.10.2015 के
विरुद्ध मध्य प्रदेश भू - राज्य संहिता की धारा 44 के अधीन अपील ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के सपवन्धो के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम मौजा नारायणपुर प0ह0न0 30/37 रा.नि.म. बरगी स्थित भूमि खसरा न 183/ए रकवा 0.25 हेक्टे. में से रकवा 0.20 हेक्टे.

for

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि.के हस्ता.
18.12.15	<p>अपीलांट की ओर से श्री सुनील सिंह अभिभाषक एवं शासन के पैनल लायर के तर्क सुने यह अपील कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 333 अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 19-10-2015 के विरुद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई।</p> <p>2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपीलांट ने कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग रखी कि उसके स्वामित्व की ग्राम मौजा नारायणपुर स्थित भूमि स0क0 183/1 रकबा 0.25 हैक्टर में से वह 0.20 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) भूमि उबड़ खाबड़ होने एवं फसल पैदा न होने से रिस्पा. क. 2 को विक्रय करना चाहती है, इसलिये विक्रय की अनुमति प्रदान की जाय। कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दिनांक 19-10-15 से अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया। इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत हुई है।</p> <p>4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से</p>	

for



स्थिति यह है कि अपीलांट के आवेदन की जांच कलेक्टर जबलपुर ने तहसीलदार जबलपुर से कराई है तहसीलदार जबलपुर ने प्रतिवेदन दि० 10.1.14 प्रस्तुत कर बताया है कि अपीलांट के पास वादग्रस्त भूमि विक्रय करने के उपरांत ग्राम मरहापाठा में 1.94 हैक्टर एवं ग्राम नारायणपुर में 0.05 हैक्टर भूमि शेष रहेगी। वादग्रस्त भूमि अपीलांट ने विक्रय पत्र दिनांक 29-11-2012 से कय की है। खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि अनुसार वादग्रस्त भूमि अपीलांट के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर है। न्यायालय अपर जिलाध्यक्ष जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 7 अ 54/1964-65 अनुसार चकबंदी के पूर्व भूमि सर्वे क्रमांक 100,42/2, 99 था जो चकबंदी के बाद भूमि 139 बनाया गया है अर्थात् सन 1965-65 में भूमि भूमिस्वामी स्वत्व की रही है परिलक्षित है कि भूमि पट्टे की नहीं है अपितु अपीलांट द्वारा कय की गई भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है। सन् 1964-65 के पूर्व से भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित चली आ रही एवं उसके बाद अपीलांट द्वारा कय कर ली गई वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति दी जा सकती है ? आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० विरुद्ध म०प्र०राज्य तथा एक अन्य 2013 रा०नि०-8 - माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत है कि

for



स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि.के हस्ता.
<p>for</p>	<p>“ (1) भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)-धारा 165 (7-ख) तथा 158 (3) का लागू होना - उपबंधों के अंतः स्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - उपबंध आकर्षित नहीं होते - भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।</p> <p>(2) विधि का निर्वचन - का सिद्धांत - नवीन उपबंध का अंतःस्थापन - भूलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया - ऐसे उपबंध की भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।”</p> <p>भू राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) - धारा - 165 (7-ख) - पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये 10 वर्ष का समय हो चुका - पट्टाग्रहीता को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और ऐसा भूमिस्वामी भूमि के प्रत्येक प्रकार के संव्यवहार हेतु स्वतंत्र है। जबकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट की कय की गई भूमि है एवं वादग्रस्त भूमि विक्रय के वाद अपीलांट के पास ग्राम नारायणपुर में 0.05 हैक्टर एवं ग्राम मरहापाठा में 1.94 हैक्टर भूमि शेष रहती है जो उसकी आजीविका का साधन है एवं वह भूमिहीन भी नहीं होगी, जिसके कारण अपीलांट</p> <p style="text-align: center;">JM</p>	

को वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 333 अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 19-10-2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं अपीलांत को मौजा नारायणपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 183/1 रकबा 0.25 हैक्टर में से वह 0.20 है. के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है कि :-

1. यदि प्रस्तावित क्रेता चालू वर्ष की गाईड लायन के मान से भूमि का मूल्य देने तैयार हो।
2. विक्रय पत्र प्रस्तुत करने पर विक्रय धन विक्रेता द्वारा अपीलांट्स के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक वाद-विचारित भूमि का विक्रय पत्र पंजीयत करेंगे।
3. भूमि के विक्रय पत्र का निष्पादन इस आदेश से तीन माह की समयावधि में करना अनिवार्य होगा।
4. मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को किये गये सँशाधन अनुसार शासन मद में प्रचलित गाईड लायन के मान से निर्धारित राशि जमा करने के उपरांत ही विक्रय संपादित किया जायेगा।

for


सदस्य